		another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 3**: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application).

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion. 1. Inspector General, Border Security Force - Chairman 2. Deputy Inspector General, Border Security Force - Member 3. Commandant, Border Security Force. - Member	Not applicable

[F. No. C-17/10/2018-Confdl/RRs/BSF]

VINOD KUMAR, Under Secy. (Pers-III)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

सा.का.नि.119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1999 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1999 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

   "2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	1 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10 (रु.56100-177500)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति :-

I. प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 या समतुल्य श्रेणी में दो वर्ष का नियमित सेवा की हो, या

(iii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 या समतुल्य श्रेणी में तीन वर्ष के नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष धारण करता हो, या

(ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से कार्मिक प्रशासन या मानव संसाधन विकास में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और

(iii) प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य में तीन वर्ष का अनुभव

II. ऐसा विभागीय अधिकारी जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो उसका बाहरी व्यक्तियों के साथ भी विचार किया जाएगा और यदि वह उस पद के लिए चयनित हो जाता है तो यह माना जाएगा कि वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया है ।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इस प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 39021/02/2018-स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक सा. का. नि.286, तारीख 11 सितम्बर, 1999 में प्रकाशित की गई और अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 64, तारीख 31 मार्च, 2012 को अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 9th May, 2019

G.S.R. 119.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission, (Administrative Officer) Group 'A' Post Recruitment Rules, 1999, namely:-

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, (Administrative Officer) Group 'A' post Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission, (Administrative Officer) Group 'A' Post Recruitment Rules, 1999 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrative Officer	01* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Ministerial	Level 10 (Rs. 56100-177500)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion or Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion or Deputation: I. Deputation: Officers under the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 8 in the pay matrix	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

or equivalent in the parent Cadre or Department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 in the pay matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in Arts or Science or Commerce from a recognised University or equivalent; or (ii) three years diploma in Personnel Administration or Human Resource Development from a recognised institution; and (iii) three years' experience in administration, establishment and accounts works. II. The Departmental Officer holding the post of Assistant Administrative Officer in level 8 in the pay matrix with two years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1.-** Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No. 39021/02/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 286, dated the 11th September, 1999 and last amended vide G.S.R. 64, dated 31st March, 2012.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

सा.का. नि. 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग, सहायक प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2010 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है।), नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

   "**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. उक्त नियमों में, अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-